

Internal Complaint Committee(ICC) Annual Report during the academic year 2024-25

Report by the Presiding Officer Prof. Seema Sharma

In accordance with the Govt. of India Gazette notification Part-II, Section-1, No. 18 "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" and Part- II, Section-4 of All India Council for Technical Education (Gender Sanitization, Prevention and prohibition of Sexual Harassment of Women Employees and Students and Redressal of Grievances in Technical Institutes) Regulations, 2016, the Internal Complaint Committee (ICC) has been reconstituted in Gurukula Kangri (Deemed to be University) in the session 2024-25 (letter no. GK(DU) / Estt. / 79/9/7/24 dated 08 June, 2024). The stakeholders of the committee were as follows.

1	Prof. Seema Sharma	Presiding Officer
2	Prof. Anjali Goel	Member
3	Dr. Atima Narang	Member(External)
4	Shri Manish Agarwal	Member
5	Dr. Swati Agarwal	Member
6	Sh. Aditya Nayar	Student Member
7	Sh. Arman Varshi	Member
8	Ms. Jyoti Gupta	Member
9	Dr. Rakesh Bhutiani	Convenor

Gurukula Kangri (Deemed to be university) is committed to create congenial working environment at the University Campus, in order to ensure Gender Equity and avoid any kind of sexual harassment at the workplace. The major role of the Internal Complaint Cell (ICC) is to take proactive steps and spread awareness to avoid any kind of sexual harassment in the workplace.


Annual Gender Sensitization Action Plan of 2024-2025

1. In that respect the Internal Complaint Cell (ICC) organizes various student events, invited lectures, competitions among students and other student activities, etc. focused on sensitizing students and staff toward sexual harassment and maintaining a cordial working environment in the University. In this regard following action plan was decided:

- i. To organize gender sensitization programs, orientation, and training for sensitizing the students, staff, and teachers of the University in each campus.
- ii. To organize awareness campaigns by inviting legal experts for counseling and guidance aimed at preventing and protecting women against discrimination and sexual harassment.
- iii. To create a social and psychological environment for harmonious and healthy relationships at the workplace by organizing various activities focused on gender sensitization.
- iv. To organize some outreach programs to sensitize students towards gender equality and sexual harassment at workplace in other educational institutions.

I. Actions taken with reference to the office memorandum issued by U.5 Section, Department of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India (F.No.18-2/2022-U.5 dt.09.03.2022) on the subject 'Maintenance of safe working environment for female employees at Workplace' by GK (DTBU) Haridwar.

1. **Displaying banners/ posters at conspicuous places:** Banners and posters have been displayed at different places of the Institute like class rooms, laboratories, elevators, stairs, library *etc.* as follows.







2. Organization of a program to sensitize the employees and students of the Institute

Name of the awareness program: Law Provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace

Organized by: Internal Complaint Committee (ICC), GK (DU), Haridwar

Date: 20 May 2025; **Time:** 03:00 PM onwards; **Venue:** Departmental of Zoology & Environmental Sciences, GK (DU), Haridwar

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि महिला का शोषण कोई नहीं कर सकता महिलाओं को स्वाभिमान-सम्मान से कार्य करने का अधिकार: कौर

कार्यक्रम

हरिद्वार, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विमलजीत कौर ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और स्वाभिमान के साथ कार्य करने का अधिकार है। कहा कि महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुयोग करके किसी का शोषण नहीं कर सकता है। सरकार को और से यौन उत्पीड़न, गैरकथम, निषेध और निवारण अधिनियम अपनाए गए हैं जो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करते हैं।

उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में संगठनार को कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी में अग्रणी बताया गया। कला किरमन



हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में भगतवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधित ज.न. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विमलजीत कौर का स्वागत करती शिक्षिका। ●वि-द्व-क

में महिलाओं को स्वाभिमान और कार्यस्थल पर कार्य करने में सक्षम नहीं जा सकता है। ऐसा व्यवहार जो सामान्य नहीं है, जो कार्यस्थल को अकारण में रोक सकता है। महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हैं। इस अधिनियम पर आधिकारिक शिक्षण प्रकॉर्ट को अग्रणी

पी सीमा जमाने परीक्षा का परिणाम दिया। सम्मानपूर्वक डॉ. मंजिषा भगतनी ने कहा कि प्रकॉर्ट इस अधिनियम के संघर्ष में कार्य समाप्त पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। आधिकारिक शिक्षण प्रकॉर्ट को संपूर्ण जानकारी लीच को वेबसाइट पर उपलब्ध है। संगठन डॉ. कथम सिंह ने कहा।

इस अवसर पर डॉ. विमलजीत कौरों को निरूपा गुप्ता, डॉ. विधि गुप्ता, डॉ. अश्विनी, डॉ. मंगीता मदान, प्रो. प्रकॉर्ट कौर, प्रो. नजदीन, डॉ. विमल भागदत्त, डॉ. विमल कथम, डॉ. आरत कदमकार, मनोप अतकाल आदि उपस्थित रहे।

स्वाभिमान

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की समस्याओं की रोकथाम के लिए कार्यक्रम आयोजित

‘महिलाओं का जागरूक होना आज की आवश्यकता’

हरिद्वार 20 मई (संवाददाता)। आज के दौर में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामनाओं की रोकथाम के लिए अग्रणी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विमलजीत कौर ने कहा कि महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुयोग करके किसी का शोषण नहीं कर सकता है। ऐसा व्यवहार जो सामान्य नहीं है, जो कार्यस्थल को अकारण में रोक सकता है। महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हैं। इस अधिनियम पर आधिकारिक शिक्षण प्रकॉर्ट को अग्रणी

पी सीमा जमाने परीक्षा का परिणाम दिया। सम्मानपूर्वक डॉ. मंजिषा भगतनी ने कहा कि प्रकॉर्ट इस अधिनियम के संघर्ष में कार्य समाप्त पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। आधिकारिक शिक्षण प्रकॉर्ट को संपूर्ण जानकारी लीच को वेबसाइट पर उपलब्ध है। संगठन डॉ. कथम सिंह ने कहा।



इस अवसर पर अतिथि शिक्षिका विमलजीत कौर का स्वागत करती शिक्षिका। ●वि-द्व-क



इस अवसर पर अतिथि शिक्षिका विमलजीत कौर का स्वागत करती शिक्षिका। ●वि-द्व-क

आयोजित किया गया है। अतिथि शिक्षिका प्रकॉर्ट से संपूर्ण जानकारी लीच को वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अवसर पर डॉ. विमलजीत कौरों को निरूपा गुप्ता, डॉ. विधि गुप्ता, डॉ. अश्विनी, डॉ. मंगीता मदान, प्रो. प्रकॉर्ट कौर, प्रो. नजदीन, डॉ. विमल भागदत्त, डॉ. विमल कथम, डॉ. आरत कदमकार, मनोप अतकाल आदि उपस्थित रहे।





Haridwar, Uttarakhand, India
W499+vc8, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Jagjeetpur,
Haridwar, Uttarakhand 249404, India
Lat 29.919592° Long 78.118712°
20/05/2025 03:24 PM GMT +05:30

Google



Haridwar, Uttarakhand, India
W499+vc8, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Jagjeetpur,
Haridwar, Uttarakhand 249404, India
Lat 29.919603° Long 78.118719°
20/05/2025 03:27 PM GMT +05:30

Google

महिलाओं को सम्मान व स्वाभिमान के साथ काम करने का है अधिकार

गुरुकुल कांगड़ी समविधि में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जागरण सचिवालय, हरिद्वार: महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को समस्याओं को रोकथाम को गुरुकुल कांगड़ी समविधि के आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता सिविल जज सिमरनजीत कौर ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और स्वाभिमान के साथ कार्य करने का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बनाया है, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा के साथ काम करना सुनिश्चित करता है।



गुरुकुल कांगड़ी समविधि में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अतिथि को सम्मानित करते हुए • सहाय विधि

कहा कि यह अधिनियम महिला को सुरक्षा प्रदान करता है। इस अवसर पर आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ के समन्वयक डा. रक्वेश भूटानी ने कहा कि प्रकोष्ठ इस अधिनियम के संघर्ष में समय समय पर जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इस इस मौके प्रो. सीमा शर्मा, प्रो. अंजली गोयल, डा. ऊयम सिंह, प्रो. नमिता जोशी, प्रो. सुरेखा राणा, डा. निधि हांडा, डा. आमा शुक्ला आदि मौजूद रहे।

II. Issues/cases

NO complaint relating to sexual harassment was registered in the session 2024-25.

There are NO PENDING CASES at present.

Seema Sharma
24.8.25

Prof. Seema Sharma
Presiding Officer, ICC
GK(DU) Haridwar